बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–08/अ0प्र0–02–01/2019 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
कार्य/अकार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य/अकार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– लेखा लिपिक संवर्ग (कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक) का किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन का विरमित संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय आदेश संख्या–115 सह–पठित ज्ञापांक–2801 दिनांक–18.06.2020, विभागीय आदेश संख्या–186 सह–पठित ज्ञापांक–3988 दिनांक–03.09.2020, विभागीय आदेश संख्या–199 सह–पठित ज्ञापांक–4550 दिनांक–24.09.2020 एवं विभागीय आदेश संख्या–200 सह–पठित ज्ञापांक–4551 दिनांक–24.09.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा लेखा लिपिक संवर्ग (कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक) को प्रशासनिक दृष्टिकोण/सरकारी कार्यहित एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन आज की तिथि तक अप्राप्त है, यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग में अनुपालन प्रतिवेदन की मांग अभ्यावेदन से की जा रही है।

अतः वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आलोक में 03 (तीन) दिनों के अन्दर विरमन, योगदान की सूचना एवं अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
19.02.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–02–01/2019 1024 पटना, दिनांक– 22/2/21

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी सह–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 19.02.21

सरकार के उप सचिव

(D) Letter